

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ला,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मैनपुरी, कानपुर, देहात, बरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जौनपुर, गाजीपुर,
रायबरेली, फतेहपुर, सुल्तानपुर, हरदोई, बस्ती, काशीरामनगर, संतकबीरनगर,
बलिया, उन्नाव, देवरिया, मऊ, अम्बेडकरनगर एवं हाथरस।

राजस्व अनुभाग -11

लखनऊ दिनांक: 25 जुलाई, 2009

विषय :: वर्ष 2009 में अवर्षण के कारण जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान मानसून अवधि में सामान्य वर्षा के सापेक्ष मात्र 40 प्रतिशत वर्षा होने के कारण एवं खरीफ की फसल की बोवाई लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम होने की आपसे प्राप्त सूचना/आख्या के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 20 जनपद यथा— मैनपुरी, कानपुर देहात, बरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जौनपुर, गाजीपुर, रायबरेली, फतेहपुर, सुल्तानपुर, हरदोई, बस्ती, काशीरामनगर, संतकबीरनगर, बलिया, उन्नाव, देवरिया, मऊ, अम्बेडकरनगर एवं हाथरस को सूखाग्रस्त जनपद घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी रबी की फसल आने तक (दिनांक 31 मार्च, 2010) कृषकों के अवशेष मुख्य राजस्व देयो (भू-राजस्व एवं सिंचाई) की वसूली का स्थगन दिनांक 31 मार्च, 2010 तक प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में कृषि ऋण से सम्बन्धित विविध देयो की वसूली हेतु कृषकों के विरुद्ध कोई उत्पीडनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

3— उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में सूखे की स्थिति गम्भीर होने की दशा में जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझते हैं तो शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को विभिन्न विभागों के सहयोग से राहत हेतु निम्नांकित कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी:—

- (1) राहत कैम्प का संचालन किया जाएगा जिसमें वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित बच्चों को आवश्यकतानुसार सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
- (2) पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार पशु राहत कैम्प संचालित किये जायेंगे, जिसमें चारा की व्यवस्था, पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी।

8

4- उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में आपदा राहत निधि से प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को निम्नांकित राहत सहायता प्रदान की जायेगी:-

- (1) आपात स्थिति में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में टैंकों से पेयजल की आपूर्ति की जाय।
- (2) अवर्षण के कारण लघु एवं सीमान्त कृषकों की 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त फसल हेतु कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जाय।

सूखे की स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखते हुये इससे निपटने के लिये बनाई गई कार्ययोजना को तत्काल कार्यान्वित कराया जाए तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति सूखे से उत्पन्न स्थिति के कारण भुखमरी का शिकार न हो।

5- सूखे की स्थिति से निपटने के लिये की जाने वाली प्रमुख कार्यवाही:-

- (1) स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन जनपदों में रैपिड रेस्पान्स टीम का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से पेयजल शुद्धता हेतु क्लोरीन टैबलेट का वितरण एवं पेयजल स्रोतों का विसंक्रमण सतत रूप से किया जाएगा एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- (2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (नरेगा) के माध्यम से रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को प्रत्येक दिवस रोजगार उपलब्ध कराई जाए।
- (3) पेयजल की आवश्यकतानुसार नये हैण्डपम्प की स्थापना तथा रिबोर की श्रेणी में आने वाले हैण्डपम्पों को तत्काल रिबोर कराया जाए।
- (4) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु सामान्य मरम्मत से सम्बन्धित हैण्डपम्प को 03 दिवस के अन्दर ठीक करा लिया जाएगा। 12वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के माध्यम से पेयजल की परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है यदि 05 दिन के अन्दर हैण्डपम्प मरम्मत नहीं की जाती है, तो उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।
- (5) लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप एवं गहरे नलकूप का वार्षिक लक्ष्य 30 सितम्बर 2009 तक पूर्ण कर लिया जाए ताकि कृषकों को इससे तत्काल सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- (6) कृषि विभाग के माध्यम से लघु एवं सीमान्त कृषकों को 0.2 हेक्टेर क्षेत्रफल में बोवाई हेतु वैकल्पिक बीज की व्यवस्था हेतु मिनी किट वितरित किया जाए।
- (7) राजकीय नलकूप में सामान्य खराबी 03 दिवस के अन्दर एवं वृहद खराबी 10 दिवस के अन्दर ठीक कर सिंचाई व्यवस्था सामान्य बनायी रखी जाए। इन राजकीय नलकूप से सम्बन्धित यदि कोई ट्रान्सफार्मर खराब होता है, तो इसे

18

विद्युत विभाग द्वारा 03 से 05 दिवस के अन्दर बदल दिया जाए। इस हेतु सभी विद्युत भंडार केन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाए।

- (8) सूखाग्रस्त जिलों में सामान्य योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) के अंतर्गत कृषकों से बी० एंड एल फार्म प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्राथमिकता पर नलकूप ऊर्जीकृत किया जाए।
- (9) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी बी०पी०एल० अन्त्योदय परिवारों को 35 किग्रा० प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ-साथ ए०पी०एल० (Above Poverty Line) परिवारों के अतिरिक्त गेहूँ उपलब्ध कराया जाए।

जिलाधिकारी उक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ ही इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार करें।

भवदीय,



(एस०एन० शुक्ला)

राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. माननीय राजस्व मंत्री के निजी सचिव।
2. मुख्य स्टाफ आफिसर मंत्री मण्डलीय सचिव।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त।
5. समस्त प्रमुख सचिव गण, माननीय मुख्यमंत्री जी।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अध्यक्ष, जल निगम, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
10. संयुक्त सचिव एवं केन्द्रीय राहत आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
11. अनु सचिव (आपदा प्रबन्धन) कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(एस०एन० शुक्ला)

राहत आयुक्त एवं सचिव